दिनांक 08.09.2021
प्रेस विज्ञप्ति 08 / 2021

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

वीमेन पावर लाइन 1090 द्वारा की गई कार्यवाही

श्री मुकुल गोयल, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के निर्देशन में महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उ0प्र0/वीमेन पावर लाइन 1090 द्वारा निरन्तर कार्य किया जा रहा है, जिसका पर्यवेक्षण अपर पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उ0प्र0 द्वारा किया जा रहा है। मिशन शक्ति तृतीय चरण अभियान में साप्ताहिक कार्ययोजना तैयार कर कार्यवाही प्रचलित है।

वर्ष 2021 में वीमेन पावर लाइन 1090 द्वारा अब तक की गई कार्यवाही का विवरण निम्नवत हैः–

- वीमेन पावर लाइन 1090 पर वर्ष 2021 में **दिनॉकः 01.01.2021 से दिनॉकः 31.08.2021 तक कुल 2,13,555 शिकायतें प्राप्त** हुई है, जिनमें से 91,802 शिकायतें अन्य प्रकरणों से सम्बन्धित होने के कारण जनपदीय पुलिस, जीआरपी, यूपी–112 को अन्तरित किया गया है। इनके अतिरिक्त अन्य शिकायते फोन बुलिंग, साइबर बुलिंग आदि से सम्बन्धित है। अब तक लगभग 95 प्रतिशत शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। शेष शिकायतें शीघ्र निस्तारण की प्रक्रिया में है।
- 1090 के साइबर सेल द्वारा प्राप्त शिकायतों के निस्तारण को और अधिक प्रभावी, गुणवत्तापरक एवं समयबद्ध बनाये जाने हेतु सेफ सिटी परियोजना के अन्तर्गत 1090 के साइबर सेल को सुदृढ़ीकृत किया गया है, जिसके अन्तर्गत अत्याधुनिक **साइबर फोरेन्सिक टूल्स** का उपयोग करते हुये इस प्रकार के शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जा रहा है। **दिनॉकः 01.01.2021 से 31.08.2021 तक कुल–36,262 शिकायतें** इस सन्दर्भ में प्राप्त हुई है, जिसमें से लगभग 90 प्रतिशत शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है तथा शेष शिकायतें शीघ्र निस्तारण की प्रक्रिया में है।

- **01 जुलाई 2020 से दिनॉकः 31.08.2021 तक दर्ज 7,241 शिकायतों में एफएफआर(फैमिली, फेन्डस, रिलेटिव) काउन्सलिंग कर पीड़िता को राहत पहुॅचायी गयी।**
- हार्ड केसेज में सम्बन्धित थाने में रिपोर्ट प्रेषित कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए जून 2020 से अब तक **1090 की विशेष टीम (हार्ड केस कैकिंग टीम) द्वारा 13 अभियुक्तों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये 437 शिकायतों का निस्तारण** किया जा चुका है।
- पारिवारिक विवाद के प्रकरणों में वीमेन पावर लाइन द्वारा आन लाइन फैमिली काउन्सलिंग सेवा का आरम्भ दिनॉकः 17.10.2020 से प्रारम्भ की गयी, जिसमें **अब तक 4,514 प्रकरणों में काउन्सलिंग मनोचिकित्सकों/काउन्सलर्स के माध्यम से कराई गयी है।**
- समय–समय पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उ0प्र0 लखनऊ एवं प्लान इण्डिया द्वारा किशोर न्याय(बालकों के देख–रेख एवं संरक्षण) अधिनियम–2015 पर माह अगस्त में 03 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन कर प्रशिक्षण की कार्यवाही की गयी।

जनपद श्रावस्ती/थाना इकौना

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 08.09.2021 को थाना इकौना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बलुहा से सेमगढ़ा जाने वाली सड़क पुल के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त पृथ्वी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद श्रावस्ती के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट आदि के 13 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना इकौना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 17/2021 धारा 379 भादवि, मु0अ0सं0 20/2021 धारा 307/323/504/506 भादवि व 3(2)(5), 3(1)द, ध एससी/एसटी एक्ट व मु0अ0सं0 30/2021 धारा 307 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना इकौना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—पृथ्वी निवासी रामूपरवा थाना इकौना जनपद श्रावस्ती।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस।

जनपद बस्ती/थाना पैकोलिया

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **घटना में प्रयुक्त 01 अवैध पिस्टल 01 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 08.09.2021 को थाना पैकोलिया पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त हरिकेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध पिस्टल 01 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना पैकोलिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0 90/2021 धारा 147/323/506/307/34 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना पैकोलिया पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–हरिकेश निवासी पूरे बेचू (मुईली) थाना हरैया जनपद बस्ती।

बरामदगी

1–घटना में प्रयुक्त 01 अवैध पिस्टल 01 जीवित कारतूस।

जनपद जौनपुर/थाना जलालपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा, 01 मिस कारतूस**
- **01 दो पहिया वाहन बिना नम्बर बरामद**

दिनांक 07.09.2021 की रात्रि थाना जलालपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सुरहुरपुर के पास चेकिंग के दौरान दो पहिया सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने

की नियत से फायरिगं कर दी। बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग में आरक्षी विकास सिंह घायल हो गये, पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—सौरभ 2—रंजीत उर्फ राजा घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा, 01 मिस कारतूस, 01 दो पहिया वाहन बिना नम्बर बरामद हुई। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त सौरभ के विरूद्ध जनपद जौनपुर, प्रतापगढ़ के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के एक दर्जन अभियोग व अभियुक्त रंजीत उर्फ राजा के विरूद्ध जनपद जौनपुर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना जलालपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—सौरभ निवासी सेहमलपुर थाना जलालपुर जनपद जौनपुर।

2—रंजीत उर्फ राजा निवासी बडारी धनियामऊ थाना बक्शा जनपद जौनपुर।

<u>बरामदगी</u>

1—02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा, 01 मिस कारतूस।

2—01 दो पहिया वाहन बिना नम्बर।

जनपद औरैया/थाना कोतवाली औरैया

- **पुलिस कार्यवाही में अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **08 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर**
- **02 जीवित, 02 खोखा, 01 मिस कारतूस**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 07.09.2021 की रात्रि थाना कोतवाली औरैया पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दीपाली होटल के सामने, बाकरपुर बोहरा के पास हाई–वे के किनारे से पुलिस कार्यवाही में अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्तों 1–राजकुमार उर्फ शुआ 2–शिवशंकर उर्फ कल्लू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 08 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 02 जीवित, 02 खोखा, 01 मिस कारतूस, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त राजकुमार उर्फ शुआ के विरूद्ध जनपद औरैया के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग एवं अभियुक्त शिवशंकर उर्फ कल्लू के विरूद्ध जनपद औरैया के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 03 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना औरैया पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–राजकुमार उर्फ शुआ निवासी अशोक नगर बाबरपुर थाना अजीतमल जनपद औरैया।

2–शिवशंकर उर्फ कल्लू निवासी जमालीपुर थाना कोतवाली औरैया जनपद औरैया।

बरामदगी

1–08 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर।

2–02 जीवित, 02 खोखा, 01 मिस कारतूस।

3–अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे।

4–01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना खतौली

- **पुलिस कार्यवाही में 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित 01 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 07.09.2021 को थाना खतौली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बुआडा फाटक के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त समीर उर्फ सोनू उर्फ जोगा घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित 01 खोखा कारतूस बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, धोखाधड़ी, गुण्डा एक्ट, जुआ एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 21 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना खतौली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—समीर उर्फ सोनू उर्फ जोगा निवासी मो0बेरियान कस्बा व थाना जानसठ जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1—चोरी की 01 मोटर साइकिल।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित 01 खोखा कारतूस।

जनपद चित्रकूट/थाना मऊ

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 08 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 07.09.2021 को थाना मऊ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर लालता रोड से राजापुर की तरफ पूरा तालाब के पास चेकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों 1—राजुल 2—विक्रम 3—धीरेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 08 मोटर साइकिल बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना मऊ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राजुल निवासी उड़की माफी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट।

2—विक्रम निवासी उड़की माफी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट।

3—धीरेन्द्र निवासी लवेद मजरा खंडेहा थाना मऊ जनपद चित्रकूट।

बरामदगी

1—चोरी की 08 मोटर साइकिल।

जनपद बरेली/थाना सिरौली

- **04 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **लगभग 75 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 07 किलो 200 ग्राम अवैध अफीम**
- **01 लाख 75 हजार रूपये नगद**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 08.09.2021 को थाना सिरौली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अंजनी तिराहा के पास चेकिंग के दौरान 04 मादक पदार्थ तस्करों 1—छत्रपाल 2—सूरजपाल 3—दिनेश 4—अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 75 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 07 किलो 200 ग्राम अवैध अफीम, 01 लाख 75 हजार रूपये नगद, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना सिरौली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—छत्रपाल निवासी ठकिया थाना अलीगंज जनपद बरेली।

2—सूरजपाल निवासी ठकिया थाना अलीगंज जनपद बरेली।

3—दिनेश निवासी अंजनी थाना सिरौली जनपद बरेली।

4—अभियुक्ता निवासी अंजनी थाना सिरौली जनपद बरेली।

बरामदगी

1—लगभग 75 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 07 किलो 200 ग्राम अवैध अफीम।

2—01 लाख 75 हजार रूपये नगद।

3—01 मोटर साइकिल।

जनपद खीरी/थाना मैगलगंज

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 07 लाख रूपये कीमत की 35 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब**
- **01 ट्रैक्टर आदि बरामद**

दिनांक 08.09.2021 को थाना मैगलगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर औरंगाबाद रोड ओवरब्रिज के पास चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1—सन्दीप 2—रोहित उर्फ मोन्टी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 07 लाख रूपये कीमत की 35 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, 01 ट्रैक्टर आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना मैगलगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सन्दीप निवासी रिठाल थाना गिलौड़ जनपद रोहतक हरियाणा।

2—रोहित उर्फ मोन्टी निवासी रिठाल थाना गिलौड़ जनपद रोहतक हरियाणा।

बरामदगी

1—लगभग 07 लाख रूपये कीमत की 35 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।

2—01 ट्रैक्टर आदि।

जनपद बाराबंकी/थाना दरियाबाद

- **01 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **220 ग्राम अवैध मारफीन**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 08.09.2021 को थाना दरियाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चमरौली जंगल के पास चेकिंग के दौरान मादक पदार्थ तस्कर मो0 दिलशाद उर्फ

सिंकिया को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 220 ग्राम अवैध मारफीन, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना दरियाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मो0 दिलशाद उर्फ सिंकिया निवासी पूरे कामगार आलियाबाद थाना दरियाबाद जनपद बाराबंकी।

बरामदगी

1—220 ग्राम अवैध मारफीन।

2—01 मोटर साइकिल।

जनपद देवरिया/थाना रामपुर कारखाना

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **ठगी के 52 हजार रूपये नगद**
- **05 मोबाइल फोन, 09 सिम कार्ड, थम्ब इम्प्रेशन मशीन**
- **17 अंगूठे का क्लोन, 22 आधार कार्ड, एम—सील, फेविकोल आदि बरामद**

दिनांक 08.09.2021 को थाना रामपुर कारखाना, थाना बघौचघाट व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम कामधेनुआं से अंगूठे का क्लोन बनाकर रूपयों की ठगी करने वाले 04 अभियुक्तों 1—अच्छेलाल 2—सोनू 3—विशाल 4—प्रदीप को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से ठगी के 52 हजार रूपये नगद, 05 मोबाइल फोन, 09 सिम कार्ड, थम्ब इम्प्रेशन मशीन, 17 अंगूठे का क्लोन, 22 आधार कार्ड, एम—सील, फेविकोल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो विभिन्न माध्यमों से अंगूठे का निशान ले लेते थे, तथा उनसे आधार कार्ड प्राप्त कर आधार इनेबल बैकिंग एप के माध्यम से व्यक्ति के खाते से रूपये अन्य खातों में स्थानान्तरित कर लेते थे।

इस सम्बन्ध में जनपद देवरिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—अच्छेलाल निवासी कामधेनुआं थाना रामपुर कारखाना जनपद देवरिया।

2—सोनू निवासी शंकरपुर थाना बैकुण्ठपुर जनपद गोपालगंज बिहार।

3—विशाल निवासी कामधेनुआं थाना रामपुर कारखाना जनपद देवरिया।

4—प्रदीप निवासी कामधेनुआं थाना रामपुर कारखाना जनपद देवरिया।

<u>बरामदगी</u>

1—ठगी के 52 हजार रूपये नगद।

2—05 मोबाइल फोन, 09 सिम कार्ड, थम्ब इम्प्रेशन मशीन।

3—17 अंगूठे का क्लोन, 22 आधार कार्ड, एम—सील, फेविकोल आदि।

- **<u>जनपद सहारनपुर/थाना सरसावा(प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को 07 वर्ष के कारावास की सजा व 30 हजार रूपये का अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र फास्ट ट्रेक कोर्ट/एफटीसी—1 सहारनपुर द्वारा थाना सरसावा पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 452/376ए भादवि में अभियुक्त विकाश उर्फ विक्की को 07 वर्ष के कारावास की सजा व 30 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➢ **<u>जनपद सीतापुर/थाना लहरपुर(प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्तों को 07 वर्ष के कारावास की सजा व 02 हजार 500 रूपये का अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या–09 जनपद सीतापुर द्वारा थाना लहरपुर पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 498ए/304बी भादवि व 4 डीपी एक्ट में अभियुक्तों 1–गुलशन 2–फकीरा लाल 3–श्रीमती सुधारा को 07 वर्ष के कारावास की सजा व 02 हजार 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>एस0टी0एफ0–Shine City Group of Companies, मे हजारों लोगो से लगभग 100 करोड़ रूपये से अधिक इनवेस्ट कराकर ठगी करने वाली जगुआर टीम का President अकरम खान अपने दो साथियों के साथ लखनऊ से गिरफ्तार।</u>

दिनांकः 07–09–2021 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को Shine City Group of Companies, मे हजारों लोगो से लगभग 100 करोड़ रूपये से अधिक इनवेस्ट कराकर ठगी करने वाली जगुआर टीम के President अकरम खान व उसकी टीम के दो सीनियर बिजनेस डेवलप्मेंट मैनेजरों को लखनऊ से गिरफ्तार करने मे उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण :–</u>

1. मो0 अकरम खान पुत्र स्वा0 सहबान अली निवासी ग्राम जाफरगंज नियावां थाना कमरौली जिला अमेठी हाल पता बी–2, 802 शालीमार वनवर्ड विस्टा, सेक्टर–6, गोमतीनगर विस्तार लखनऊ।
2. अनूप सिंह पुत्र धर्म सिंह उर्फ धर्मबीर सिंह निवासी एफ–5389 धनिया मेहरीपुल के पास सेक्टर–11, थाना तालकटोरा राजाजीपुरम लखनऊ।
3. राजरानी सिंह पत्नी अनूप सिंह निवासी एफ–5389 धनिया मेहरीपुल के पास सेक्टर–11, थाना तालकटोरा राजाजीपुरम लखनऊ।

<u>बरामदगी—</u>

1. 04 अदद मोबाइल फोन।
2. 03 अदद आधार कार्ड।
3. 03 अदद पैन कार्ड।
4. 01 लैपटाप (एप्पल का)
5. 13 अदद एटीएम कार्ड।
6. 12080/—रू0 नगद
7. 02 अदद कार क्रेटा नं0 यूपी—32एचसी—4433, स्विफ्ट डिजायर—यूपी— 32डीडब्लू 7466

<u>गिरफ्तारी का दिनांक, स्थान व समयः—</u>

दिनांकः 07.09.2021, स्थानः गोमती नदी बन्धा नियर सालीमार वनवर्ड मोड़ गोमतीनगर एक्सटेन्शन लखनऊ समयः 16:40 बजे।

पुलिस महानिरीक्षक आर्थिक अपराध अनुसन्धान संगठन, अर्थ विषयक, अभिसूचना एवं अनुसंधान इकाई उ0प्र0 द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था उ0प्र0 से सन शाइन सिटी ग्रुप आफ कम्पनीज लि0 के विरूद्व प्रदेश के विभिन्न जनपदों के विभिन्न थानों में पंजीकृत 284 अभियोगों से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी में एसटीएफ उ0प्र0 के सहयोग हेतु अनुरोध किया था जिसके सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 मुख्यालय साइबर टीम को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम मे साइबर टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया। अभिसूचना संकलन के माध्यम से ज्ञात हुआ कि **Shine City Group of Companies, मे हजारों लोगो से लगभग 100 करोड़ रूपये इनवेस्ट कराकर ठगी करने वाली जगवार टीम के President अकरम खान व उसकी टीम के दो सीनियर बिजनेश डेवलमेंट मैनेजर** लखनऊ मे मौजूद है।

उपरोक्त सूचना को विकसित करते हुए एस0टी0एफ0 व आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, अर्थ विषयक, अभिसूचना एव अनुसंधान इकाई उ0प्र0 पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर खास द्वारा मिली सूचना के आधार पर दिनांक 07.09.2021 समय करीब 16:40 बजे उपरोक्त अभियुक्तों को गोमतीनदी बन्धा नियर सालीमार वनवर्ड मोड़ गोमतीनगर एक्सटेन्सन लखनऊ से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ मे गिरफ्तार अभियुक्त Shine City Group of Companies, की जगुआर टीम के President अकरम खान ने बताया कि वर्ष 2013 में मैने शाइन सिटी कम्पनी एसोसिएट के रूप में ज्वाइन की थी। कम्पनी के सीएमडी राशिद नशीम व एम0डी0 आशिफ नसीम थे। कम्पनी द्वारा 2013 से लेकर 2019 तक विभिन्न प्लान सस्ते रेट पर/ईएमआई के माध्यम से, बाई बैक प्लान (अभी प्लाट खरीदों डेढ़ वर्ष बाद कम्पनी डेढ गुनी कीमत पर वापस ले लेगी) पीआईपी प्लान, एस0बी0सी0 (क्रिप्टो करेन्सी/वर्चुवल करेन्सी), गीत ज्वैलरी (बाई 1 गेट 1 फ्री) कार डिस्काउन्ट आफर, आर0एस0एल0पी0 प्लान (प्लाट पर रू0 इनवेस्ट कर मंथली रिटर्न 2 प्रतिशत/03 प्रतिशत/04 प्रतिशत व प्लाट भी आपका) आदि विभिन्न प्लान चलाये गये जिनमें इनवेस्ट कराने पर एसोसिएट को डायरेक्ट सेल पर 05 प्रतिशत व बाइनरी पर 3.2 प्रतिशत कमीशन दिया जाता था। कम्पनी द्वारा कम्पनी में विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर इनवेस्ट कराने के लिए 20 टीमें बनाई गयी, जिसमें मुख्यतः सिंघम टीम, जगुआर टीम, विक्रान्त टीम, गरूणा टीम, पैन्थर टीम, टीम 1, स्पार्टन टीम, स्पार्टो टीम, डोमिनेटर टीम, किंग आफ स्पार्टन आदि टीमें थी इन टीमों में प्रेसिडेन्ट, वाइस प्रेसिडेन्ट, सीनियर बी0डी0एम0 व एसोसिएट पद थे। प्रेसिडेन्ट टीम हेड होता था। मै भी जगुआर टीम का प्रेसिडेन्ट था। मेरी टीम में लगभग 200 लोग काम करते थे। मेरी टीम द्वारा कम्पनी की विभिन्न स्कीमों में जनता को विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दे कर लगभग 100 करोड रूपये जमा कराये गये मुझे कम्पनी से लगभग 05 करोड रूपये कमीशन के रूप में बैंक खातों एवं कैश में मिला अनूप सिंह व राजरानी सिंह मेरी टीम में सीनियर बी0डी0एम0 थे। वर्तमान समय में मै लोगों को फारेक्स ट्रेडिंग में ट्रेड कर 05 प्रतिशत मासिक वापस देने

का प्रलोभन देकर लगभग 60 लाख रूपये अपने पर्सनल व नीम विला कम्पनी के खातों में जमा करा लिए है। पुलिस से बचने के लिए हम लोग इधर उधर छिप कर रह रहे थे। अपने मुकदमों के सम्बन्ध बात करने के लिए आज हम लोग मिले थे। कि आप लोगों ने गिरफ्तार कर लिया।

अन्य वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा है। उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना गोमतीनगर लखनऊ में पजीकृत मु0अ0स0 847/20 धारा 409/420/467/468/471/120बी भादवि, मु0अ0स0 1515/2019 धारा 409/420/467/468/471/120बी/323/504/506 भादवि, मु0अ0स0 1627/2019, 945/2020, 1638/2019, 21/2020, 180/2020, 57/2020, 36/2020, 93/2020, 127/2020, धारा 409/420/467/468/471/120बी भादवि व थाना सिगरा जनपद वाराणसी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 284/2020 धारा 409/420/467/468/471/120बी भादवि में दाखिल कर अग्रेतर कार्यवाही आर्थिक अपराध अनुसन्धान संगठन, अर्थ विषयक, अभिसूचना एव अनुसंधान इकाई उ0प्र0 पुलिस द्वारा की जा रही है।

————————